न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ. इन्द्रजीत यादव (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
27 / 2022	2022 / 74	13.10.2022	18.01.2023

तहसीलदार प्रतापगढ़ :— अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. श्री श्याम लाल पिता शम्भु मीणा
2. श्रीमती सोहनबाई पत्नि श्री शम्भु मीणा
3. देवकन्या पुत्री श्री शम्भु मीणा
4. शिवकन्या पुत्री श्री शम्भु मीणा समस्त निवासियान साकरिया तहसील प्रतापगढ़

:— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण नम्बर 647 दिनांक 20.01.2022

उपस्थिति :—
1. श्री पैरोकार सरकार
2. श्री विमल कुमार मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

—: आदेश :— दिनांक :— 18.01.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 647 मौजा बनेडिया खुर्द ऑन लाईन प्रविष्टि दिनांक 20.01.2022 स्वीकृत दिनांक 01.02.2022 के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बनेडिया खुर्द की आराजी संख्या 239 / 466 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म खेड़ा—॥ भूमि खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता श्री शम्भुलाल मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड रहते हुए उक्त भूमि का कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कार्यालय हाजा के किसी आदेश से नहीं किया गया था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या—1 से 4 और उनके प्रतिनिधी व्यक्ति श्री नितेश पुत्र अशोक कुमार जैन (नलवाया) द्वारा कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ़ के समक्ष दिनांक 11.01.2022 को एक प्रतिलिपी आवेदन मय फर्जी संपरिवर्तन आदेश की छाया प्रति प्रार्थी के पक्ष में जारीशुदा होना बताते हुए प्रस्तुत की गई जिसे कार्यालय में कार्यरत् कार्मिकों द्वारा संलग्न छाया प्रति को उचित मानते हुए सहवन से उक्त फर्जी दस्तावेज की नकल प्रमाणित प्रति कार्यालय हाजा से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपी आवेदन के अनुसार प्राप्त कर ली गई तथा उक्त नकल प्रमाणित प्रति के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या—1 से 4 एवं उनके प्रतिनिधी द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष उक्त फर्जी संपरिवर्तन आदेश मिशल संख्या 187 / 2013 निर्णित दिनांक 26.07.2013 डिस्पेच क्रमांक 854—57 दिनांक 26.07.2013 के आधार पर

जिला कलक्टर (राज.)

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि आराजी संख्या 239/466 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि रकबा को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के दौरान कृषि से अकृषि जरिये विवादित नामान्तरकरण संख्या 647 से दर्ज करा लिया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 एवं उनके प्रतिनिधी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त फर्जी संपरिवर्तन आदेश की नकल प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु विविध आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय कार्मिकों द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 की संपरिवर्तन दर्ज निस्तारित पत्रावली पंजिकाओं तथा डिस्पेच पंजिकाओं का निरीक्षण किये जाने पर संज्ञान में आया कि संपरिवर्तन मिशल संख्या 187/2013 आदेश क्रमांक 854–57 दिनांक 26.07.2013 से संदर्भित कोई पत्रावली रिकार्ड पर दर्ज निस्तारित नहीं होना पाया गया है। जिसके आधार स्पष्ट हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 एवं उनके प्रतिनिधी द्वारा मिथ्या एवं भ्रामक दस्तावेज की कार्यालय कार्मिकों को धोखे में रखते हुए अन्यथा संपरिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए जिस भूमि का कभी कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हुआ ही नहीं उक्त कृषि भूमि को कृषि से जरिये विवादित नामान्तरकरण संख्या 647 के माध्यम से अकृषि आवासीय किस्म दर्ज करा लिया गया। इस संबंध में कार्यालय कार्मिकों से प्राप्त सम्पूर्ण घटना क्रम की जानकारी अनुसार आरोपी व्यक्यिों के विरूद्ध एक प्राथमिकी पुलिस थाना प्रतापगढ़ में भी दर्ज कराई गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 647 प्रविष्ट दिनांक 20.01.2022 स्वीकृत दिनांक 01.02.2022 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण कि ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार मोदी उपस्थित होकर रेस्पोडेन्टगण कि ओर से लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि उनकी ओर से तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ में उनकी भूमि की किस्म आबादी दर्ज कराने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः विवादित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर उनकी खातेदारी भूमि को पूर्ववत् रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

दौराने बहस अपीलार्थी पेरोकार सरकार द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि निष्पादित विवादित नामान्तरकरण संख्या 647 मिथ्या एवं भ्रामक दस्तावेज फर्जी संपरिवर्तन आदेश की नकल प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए छल कपट पूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 या उनके प्रतिनिधि द्वारा रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज कृषि भूमि को अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन करा लिया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य उक्त भूमि को आवासीय रूप में बेचना रहा है जो न्याय एवं नियमों के विपरीत ही नहीं बल्कि राजकीय कार्यालय के कार्मिकों एवं रिकार्ड के साथ छेड़ छाड़ करते हुए षडयंत्र किया गया है। अत : विवादित नामान्तरकरण संख्या 647 को न्यायहित में निरस्त किये जाने हेतु अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

इसी प्रकृम में दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण द्वारा निवेदन किया गया कि उनके मुव्वकील रेस्पोडेन्टगण द्वारा तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ में उनकी कृषि भूमि को अकृषि दर्ज कराने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके समर्थन में उनकी ओर से लिखित प्रतिवेदन भी रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध कराया गया है अवशेष बिन्दुओं की उन्हें जानकारी नहीं है।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेजों जिसमें मुख्य रूप से विवादित नामान्तरकरण संख्या 647 एवं नकल प्रमाणित प्रति विवादित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 26.07.2013 तथा वर्ष 2013–14 की दर्ज संपरिवर्तन दर्ज निस्तारित पंजीका एवं डिस्पेच पंजीकाओं एवं रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत जवाब अपील

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

प्रतिवेदन दिनांक 13.01.2023 अन्य दस्तावेजों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 647 स्वीकृत दिनांक 01.02.2022 के संबंध में रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अपील मेमों में वर्णित कथनों अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 एवं उनके प्रतिनिधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपी आवेदन के क्रम में कार्यालय कार्मिकों द्वारा बिना किसी समुचित जांच कार्यवाही के अन्यथा विवादित संपरिवर्तन आदेश प्रमाणित प्रति जारी की गई जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि की किस्म अकृषि आवासीय जरिये विवादित नामान्तरकरण से किया जाना दर्शित होता है। क्योंकि किसी भी शुन्य दस्तावेज के आधार पर निष्पादित कोई भी कार्यवाही या परिणाम प्रारम्भतः शुन्य प्रकृति के माने जाते है। साथ ही रेस्पोडेन्टगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत अपील जवाब प्रतिवेदन अन्तर्गत स्वयं के द्वारा कथन किये गये कि उनके द्वारा उनकी कृषि भूमि को अकृषि आवासीय दर्ज किये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि उक्त संपरिवर्तन आदेश वास्तविक स्थिति में उपलब्ध भी होता तब भी वर्तमान प्रचलित राजस्व विधियों एवं ग्रामीण क्षेत्र संपरिवर्तन नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 एवं 2016 तथा 2021 में वर्णित उप नियम 14 के अनुसार किसी भी संपरिवर्तन आदेश में वर्णित शर्त संख्या 11(2) के अनुसार संपरिर्वन आदेश जारी होने की तिथि से उसकी उपयोगिता हेतु विहित अधिकतम अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उक्त संपपरिवर्तन की वैधता अवधि स्वतः समाप्त हो जाती है ऐसी स्थिति में 2014 के किसी संपरिवर्तन आदेश की वैधता अवधि समाप्त हो जाने उपरान्त वर्ष 2022 के दौरान ऐसे संपरिवर्तन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आदेश अधीन अमल दरामद (नामान्तरकरण) की कार्यवाही किया जाना भी अनुचित रहा है। जिसके आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकारोक्त प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 647 प्रविष्ट दिनांक 20.01.2022 एवं स्वीकृत दिनांक 01.02.2022 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार (भू.अ) प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमि राजस्व ग्राम बनेडिया खुर्द की आराजी संख्या 239/466 रकबा 0.17 हैक्टर की दर्ज किस्म "आबादी" को पूनः पूर्ववत् स्थिति में दर्ज करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ